भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1768
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 नवंबर, 2016/4 अग्रहायण, 1938 (शक) को दिया गया)
कारपोरेट शासी दिशानिर्देश का पुनरीक्षण

1768. श्री प्रेम दास राईः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बड़े कारपोरेट घरानों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के कारण सरकार कारपोरेट शासी दिशानिर्देशों को संशोधित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) इंडिया इंक में निवेशकों का भरोसा सुनिश्चित करने और कंपनियों/कारपोरेट घरानों द्वारा उल्लंघन के मामलों में उन्हें छोटे अंशधारकों को दिलाने हेतु सरकार द्वारा कौन-से प्रभावी कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख): जी, नहीं। कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में यथानिर्धारित कारपोरेट शासन अपेक्षाओं का पालन करना होता है। इस अधिनियम एवं निर्धारित नियमों में अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हितों की रक्षा करने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, इन सुरक्षा उपायों में दमन और दुर्व्यवस्था के लिए एनसीएलटी से संपर्क करना, लेखापरीक्षा समिति का अनिवार्यत: गठन करना, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति तथा हितधारक संबंध समिति सूचीबद्ध एवं अन्य श्रेणियों की कंपनियों में गठित करना, सूचीबद्ध और अन्य श्रेणी की कंपनियों के लिए स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति करना, स्वतंत्र निदेशकों के लिए आचार संहिता बनाना, संबद्ध पक्षकारों के अलावा शेयरधारकों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक संबद्ध पक्षकार कारोबार (ट्रांजेक्शन) का अनुमोदन शामिल है।

*****